न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, आर0ए0एस0
मुकदमा नम्बरः—100/2018 राजस्व वाद व 229/2018 प्रार्थना पत्र
श्रीमति भगवती देवी पुत्री मेघराज कलाल पत्नि श्री कन्हैयालाल सुवालका, उम्र बालिग निवासी घोड़ास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———वादिया—प्रार्थिया

बनाम

श्री लक्ष्मणलाल पिता बंशीलाल कलाल, उम्र बालिग निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा वगैराह

———प्रतिवादीगण—विपक्षीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—188 राज0टिनेन्सी एक्ट 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः—

1—श्री श्याम लाल वैद — एडवोकेट—प्रतिवादीगण—विपक्षीगण
2—श्री पवन कुमार शर्मा, — एडवोकेट—वादिया—प्रार्थिया

:: नि र्ण य :: दिनांकः—26.4.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रतिवादीगण—विपक्षीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धाररा 151 जा0दी0 का वादिया—प्रार्थिया के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया—प्रार्थिया के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र/प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये सजरे के नीचे के पैरा में स्वर्गीय मेघराज की मृत्यु होना स्वीकार किया है और वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी एवं मौरूसी होना स्वीकार करते हुये वर्ष 1977 में मृत्यु होना अंकित किया । मेघराज जी के निधन के पश्चात नामान्तरण दिनांक 5.10.1977 को बंशीलाल के नाम पर स्वीकृत करना भी स्वीकार किया हैं। इसके अतिरिक्त वादपत्र में संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी एवं मौरूसी जायदाद होना भी स्वीकार करते हुये वादिया—प्रार्थिया ने वादग्रस्त आराजियात में अपना जन्म से हक हिस्सा होना भी स्वीकार किया । इस प्रकार वादिया—प्रार्थिया के वाद पत्र के अभिकथनानुसार स्वर्गीय मेघराज जी के निधन के पश्चात नामान्तरण बंशीलाल के नाम पर स्वीकृत हुये 41 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका हैं। इसलिये तत्कालीन प्रचलित हिन्दू विधि में वर्णित प्रावधानों के मुताबिक पुत्रियों को घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद लाने का अधिकार ही नहीं था। हिन्दू विधि में हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार मिताक्षरा विधि द्वारा शाषित हिन्दू परिवार में सहदायिक की पुत्री को पुत्र के समान जन्म से अधिकार दिनांक 9.9.2005 से ही प्रदान किये हैं। उक्त धारा 6 के परन्तुक में यह प्रावधान वर्णित है कि 20 दिसम्बर 2004 के पूर्व वादग्रस्त सम्पदा विभाजन या अन्य संक्रमण से संपत्ति का वसीयती व्ययन से उधत हो जाने की सूरत में कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी। 41 वर्ष पूर्व जो नामान्तरण

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

स्वीकृत हो जाने को वादिया–प्रार्थिया द्वारा कोई आक्षेप नहीं करने के कारण कालान्तर में वादग्रस्त आराजियात–प्रतिवादी–विपक्षी लक्ष्मणलाल, शांतिलाल, माणकचन्द्र, स्वर्गीय शिवलाल के वारिसान राजकुमार व श्रीमति सम्पत्ति के मध्य चार हिस्सों में विभाजित होकर राजस्व रेकार्ड में वर्ष 2001 में अलग–अलग खाते कायम हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में वादिया–प्रार्थिया का यह वाद चलने योग्य नहीं हैं। जहॉ मामले में म्यूटेशन प्रतिवादीगण–विपक्षीगण के पक्ष में स्वीकृत हुये 40 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, इस कारण बिना किसी सब्स्टेशियल कॉज ऑफ एक्सन, गंभीर विलम्ब और स्पष्ट रूप से तंग करने वाला एवं तुच्छ होने के कारण खारीज किये जाने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मंडल द्वारा भी धन्नालाल वगैराह बनाम प्रहलादकुमार वगैराह के मामले में यह निर्धारित किया कि जहॉ तुच्छ वाद को जारी रखा जावे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग हो वहॉ यदि आदेश 7 नियम 11 में वर्णित प्रावधानों के तहत खारीज नहीं किया जा सके, तो न्यायालय को असहाय नहीं होना चाहिये और तुच्छ वाद से व्यथित पक्षकार को वाद का विचारण भुगते बिना उस तुच्छ मुकदमें बाजी को कुचलने के उसके अधिकार से इंकार करना है, ऐसे अभिमत से वादिया–प्रार्थिया का वाद कतई चलने योग्य नहीं होकर खारीज होने योग्य हैं। इसी तरह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुखराज सोनी बनाम सीमा के विधिक वारिसान के मामले में ऐसा अभिमत व्यक्त किया कि जहॉ वादकरण का सामना करने व लम्बी अवधि तक संताप का सामना करने से बचाने के विपक्षी के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के विभिन्न खण्डों के आधारों की उपलब्धता के अभाव में न्यायालय को धारा 151 की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता हैं। इस प्रकार वादिया–प्रार्थिया का लम्बे समय तक वाद चलने के उपरांत भी वही नतीजा होता है तो वादिया का लम्बे समय बाद आधारहीन वाद होने उसके पिता का निधन वर्ष 1977 में हो जाने से प्रचलित हिन्दू विधि के तहत जन्म से अधिकार नहीं होने के कारण यह वाद पोषणीय नहीं हैं। इसलिये ऐसे वाद को चलाये रखने का दायित्व न्यायालय का नहीं हैं। अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि वादिया–प्रार्थिया का वाद–प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

वकील प्रतिवादीगण–विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन व ताईद में जमाबंदी की नकल सम्वत् 2033 से 2036 की फोटो प्रति प्रमाणित, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2057 से 2060 की फोटो प्रति प्रमाणित प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रतिवादीगण–विपक्षीगण द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

वकील वादिया–प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब नहीं देकर सीधी बहस करना चाहते हैं।

उभय पक्षों ने बहस करनी चाही, उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रतिवादीगण–विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र. में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। वकील प्रतिवादीगण–विपक्षीगण ने नजीरे धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पेज 29, हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 पेज 72, आर.एल.डब्लू. 2016(2) पेज 1337,

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

सुप्रीम कोर्ट, आर०एल०डब्लू० 2013(1) (राज०) पेज 81, आर०एल०डब्लू० 2015(1)(राज०) पेज 189, सी.जे. (सिविल) 2018(3) (राज०) पेज 1985 प्रस्तुत किये।

जबकि वकील वादिया–प्रार्थिया ने प्रतिवादीगण–विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सारहीन होने से खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। नजीरे आर०आर०टी० 2016–17 (सुप्रीम) पेज 575, आर.एल.डब्लू. 2018(1) पेज 463, प्रस्तुत किये।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम सुरास पटवार हल्का सुरास तहसील मांडल में स्थित होकर मेघराज पिता सोनाथ कलाल साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जरिये इंतकाल नम्बर 36 के द्वारा मेघराज के बजाय बंशी पिता मेघराज के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2033 से 2036 की फोटो प्रमाणित प्रति से होती हैं। बंशी पिता मेघराज कलाल साकिन देह की मृत्यु के बाद जरिये इंतकाल नम्बर 1008 दिनांक 11.11.2000 के द्वारा बंशी के बजाय राजकुमार पिता शिवलाल, मु0 सम्पत्ति देवी बेवा शिवलाल 1/4, माणक चन्द, शांतिलाल, लक्ष्मणलाल पिता बंशी 3/4 हिस्से से नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2057 से 2060 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पुश्तैनी होकर मौरूसी थी। पुश्तैनी व मौरूसी होने के कारण मेघराज के निधन के बाद विरासत का खाता बंशी के नाम पर खोला गया। बंशी के निधन के बाद विरासत का खाता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर खोला गया। इंतकाल खुले हुये 41 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। नामान्तरण स्वीकृत हो जाने पर वादिया–प्रार्थीया द्वारा कोई आक्षेप नहीं करने के कारण कालान्तर में वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी–विपक्षी संख्या 1 से 4 व प्रतिवादी संख्या 4 के विरसान के नाम दर्ज होकर चार हिस्से में विभाजित होकर राजस्व रेकार्ड में वर्ष 2001 में अलग–अलग खाते कायम हो चुके हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2057 से 2060 की नकल से होती हैं। धारा 6 के परन्तुक में यह प्रावधान वर्णित है कि 20 सितम्बर 2004 के पूर्व वादग्रस्त सम्पदा विभाजन या अन्य संक्रामण से संपत्ति का वसीयती व्ययन से उदत हो जाने की सूरत में कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी। जहॉ मामले में म्यूटेशन प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकृत हुये 40 वर्ष से अधिक समय हो गया, बिना किसी कारण सब्स्टेशियल कॉज ऑफ एक्सन के प्रस्तुत किया हैं। वादिया के पिता के निधन वर्ष 1977 में हो जाने से प्रचलित हिन्दू विधि के तहत जन्म से अधिकार नहीं होने के कारण यह वाद पोषणीय नही हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन में वकील वादिया द्वारा न तो कोई जवाब ही प्रस्तुत किया और न हीं कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किये। वकील प्रतिवादीगण–विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरो में से कुछ नजीरे इस पर लागू होती हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया–प्रार्थिया का वादपत्र–प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना आवश्यक हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रतिवादी–विपक्षीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ अतः

:: आ दे श ::

प्रतिवादीगण–विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर वादिया–प्रार्थिया का वादपत्र धारा 88–89–188–व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारीज किया जाता हैं।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 26.4.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा